vkdk'kok.kh Jh fot ; ije

दिनांक : 04.01.2025 समय : 1905

<><><><><><><><>

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की सरकार की प्राथमिकता दोहराई।
- केंद्र सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम दो हजार पच्चीस का मसौदा जारी कर दिया है।
- स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसेडर पद्मश्री से सम्मानित नरेश चन्द्र लाल ने आज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा कर साफ–सफाई का जायजा लिया।
- ज़िला स्वास्थ्य सोसायटी की ओर से आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया।
- मध्य अंडमान वन प्रभाग की ओर से कदमतला में एक प्रकृति व्याख्या केंद्र और पक्षी सह प्रकृति ट्रेल स्थापित किया गया है।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांवों को विकास और अवसरों के जीवंत केन्द्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि गांवों के लोगों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण भारत महोत्सव नौ जनवरी तक चलेगा। इसका विषय है– विकसित भारत दो हजार सैंतालीस के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण और सिद्धांत–गांव बढ़े, तो देश बढ़े है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के इरादों, नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा आ रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दो हजार पच्चीस–छब्बीस तक एक और वर्ष के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक तीन लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल–जीवन मिशन सहित सरकार के प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के

नेतृत्व में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं।

<><><><><><><>

केंद्र सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम दो हजार पच्चीस का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया आकउंट खोलने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य और प्रमाणित सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मसौदा नियम परामर्श के लिए खुले हैं। उन्होंने लोगों से अपने विचार व्यक्त करने को भी कहा है। डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम दो हजार तेईस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अगस्त दो हजार तेईस में मंजूरी दी थी। मसौदा नियमों में डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम दो हजार तेईस के अंतर्गत व्यक्तिगत सहमति लेने, डेटा प्रसंस्करणकर्ताओं की जिम्मेदारी और अधिकारियों के कामकाज से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इन नियमों के बारे में व्यक्त की गई कोई भी प्रतिक्रिया गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग अपने विचार स्वतंत्र रूप से साझा कर सकें। मसौदा नियमों पर अपने विचार माय गॉव पोर्टल के माध्यम से अट्ठारह फरवरी तक व्यक्त किये जा सकते हैं।

<><><><><><><>

स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ–सफाई और स्वच्छता का जायजा लेने के लिए आज स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसेडर पद्मश्री से सम्मानित नरेश चन्द्र लाल ने गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने छात्रों से अपने स्कूल परिसर के साथ–साथ अपने आस–पास सफाई बनाए रखने का आग्रह किया। श्री लाल ने प्रधानाचार्य से लड़कियों की बेहतरी के लिए भारत सरकार की योजनाओं के बारे में समय–समय पर छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने पानी को बर्बाद न करने और इसे बचाने पर जोर दिया। दौरे के दौरान स्कूल की प्रधानाचार्या अर्चना सिंह भी उनके साथ थीं।

<><><><><><><>

ज़िला स्वास्थ्य सोसायटी की ओर से आज जंगलीघाट स्थित खैतान कल्याण मंडपम में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान ज़िला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित किए। अपने संबोधन में अर्जुन शर्मा, ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने रोग को मिटाने के लिए प्रारंभिक निदान,

लगातार उपचार और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री शर्मा ने कहा कि टीबी के बारे में जागरूकता और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने से रोग की व्यापकता को काफी हद तक कम किया जा सकता है और रोगी के परिणामों में सुधार किया जा सकता है। ज़िला उपायुक्त ने बताया कि इस पहल के तहत इकतालीस निक्षय मित्र पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं और वर्तमान में दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत एक सौ तैंतीस टीबी रोगियों को गोद लिया गया है। उन्होंने लोगों को निक्षय पोर्टल के माध्यम से निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण करके योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय को टीबी रोगियों को अपनाने और टीबी की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी खुद को निक्षय मित्र के रूप में पंजीकृत किया है और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोगियों को गोद लिया है।

<><><><><><><>

मध्य अंडमान वन प्रभाग की ओर से कदमतला में एक प्रकृति व्याख्या केंद्र और जरावा गेट नंबर तीन पर पक्षी सह प्रकृति ट्रेल स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्य वन संरक्षक डॉ ए अनिल कुमार, ने रंगत के पंचायत समिति प्रमुख सीता माझी, और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुब्रतो बसु की उपस्थिति में किया। उद्घाटन के दौरान प्रभागीय वन अधिकारी डॉ अब्दुल कयूम ने पर्यावरण जागरूकता, संरक्षण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के अलावा मध्य अंडमान के इकोटूरिज्म सर्किट में एक और खंड जोड़ने के लिए इन पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला। इकोटूरिज्म पहल से आस–पास के क्षेत्रों के आजीविका के अवसरों में सुधार पर सीधा असर पड़ेगा। सूचना केंद्र को आगंतुकों और स्थानीय लोगों को क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के बारे में शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर प्रदर्शन, इंटरैक्टिव प्रदर्शन और मॉडल शामिल हैं, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें क्षेत्र के आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से जारवा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका के महत्व को समर्पित एक खंड भी शामिल है। जरावा गेट नंबर तीन पर बर्ड कम नेचर ट्रेल से आगंतुकों को प्रकृति की सैर के माध्यम से एक शानदार अनुभव मिलता है, जिससे उन्हें अपने प्राकृतिक आवास में पक्षी जीवन और वन्यजीवों का अवलोकन करने का मौका मिलता है। यह ट्रेल सूचनात्मक बोर्ड और अवलोकन बिंदुओं, स्वदेशी झोपड़ियों से सुसज्जित है। इन सुविधाओं से स्थानीय समुदायों को शैक्षिक अवसर प्रदान करके, प्रकृति को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और स्थायी पर्यटन को प्रोत्साहित करके और स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के पर्याप्त

अवसर का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर डॉ. अनिल कुमार ने पहल की सराहना की और कहा कि यह आगंतुकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य है, जो इको–टूरिज्म, गाइडिंग सेवाओं और हस्तशिल्प बिक्री के अवसर पैदा करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इन स्थलों के विकास का उद्देश्य समुदाय और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध बनाना और पर्यटन तथा संरक्षण को बढ़ावा देना है। इन स्थलों की शुरुआत मध्य अंडमान में सतत सामुदायिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण में योगदान देते हुए क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

<><><><><><><>